सोशल मीडिया सेल आजमगढ

पत्र सं.- 451/21 **दिनांक- 27 सितम्बर 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना जीयनपुर

जान मारने की नियत से फायर करने वाले 02 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध तमंचा, जिन्दा व खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 24.9.2021 को संगम पाण्डेय पुत्र रवीन्द्र पाण्डेय ग्राम-रामगढ थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि विपक्षीगण-1. रामफल उर्फ धीरेन्द्र पुत्र शिवचन्द ग्राम रामगढ तिवारी का पुरा थाना जीयनपुर आजमगढ़ 2. बाल अपचारी थाना रौनापार आजमगढ आदि द्वारा मोबाइल पर बात करने की बात के विवाद को लेकर मनरेगा का कार्य करा रहे कुमार शर्मा के घर के पास जान मारने कि नियत से फायर कर दिये, इस सूचना के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 267/2021 धारा- 147/307 भादवि पंजीकृत है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभिय़ान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगडी के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक- 27.09.2021 को व.उ.नि. केशर यादव मय राह द्वारा मुखबीर खास की सूचना के अधार पर मु0अ0सं0-267/2021 धारा-147,307 भादवी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. रामफल उर्फ धीरेन्द्र पुत्र शिवचन्द ग्राम रामगढ तिवारी का पुरा थाना जीयनपुर आजमगढ़ 2. बाल अपचारी थाना रौनापार आजमगढ़ को नारायन हास्पिटल चुनहवा के पास से समय 19.35 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0-276/2021 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास –

1. मु.अ.सं. 267/2021 धारा- 147/307 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-276/2021 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़।

बरामदगी–

1. एक अदद तमन्चा .315 बोर
2. एक जिन्दा कारतुस व एक अदद खोखा कारतुस .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. रामफल उर्फ धीरेन्द्र पुत्र शिवचन्द ग्राम रामगढ तिवारी का पुरा थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. बाल अपचारी थाना रौनापार आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. व.उ.नि. केशर यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
2. हे0का0 संतोष कुमार यादव थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़।
3. का0 संतोष कुमार यादव थाना कोतवाली जीयनपुर,जनपद-आजमगढ़।

थाना-निजामाबाद

नाजायज गांजा तस्करी करने वाला डेढ किलोग्राम के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अवैध गांजा व शराब की तस्करी करने वालो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व थाना प्रभारी के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद आजमगढ के फरिहां चौराहे पर चेकिंग संदिग्ध वाहन/ अवैध व्यक्ति करते हुए रोकथाम जुर्म जरायम में मामूर थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना दी कि मुहम्मदपुर की तरफ एक व्यक्ति गांजा लेकर मोहम्मदपुर पुलिया के पास खड़ा है। मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम मुहम्मद पुर पुलिया के पास पहुची तो एक व्यक्ति खड़ा मिला जिससे पूछताछ किया गया तो अपना नाम इम्तियाज पुत्र स्व0 मो0 सईद सा0 फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ बताया तथा उसकी तलाशी से 01 किग्रा व 500 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में

उसके पास कोई अधिकार पत्र नही था को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 05.30 बजे प्रातः गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0- 185/21 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-_मो0 इम्तियाज पुत्र स्व0 मो0 सईद सा0 फैजुल्लाहपुर थान गम्भीरपुर आजमगढ़

बरामदगी-

01 किग्रा0 500 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होना

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद सिंहं चौकी प्रभारी फरिहां थाना निजामाबाद आजमगढ
2. हे0का0 जयशंकर सिंहथाना निजामाबाद आजमगढ
3. का0 मकरध्वज थाना निजामाबाद आजमगढ
4. का0 सौरभ पाण्डेय थाना निजामाबाद आजमगढ

थाना तहबरपुर

पीड़िता के मोबाइल पर अश्लील बात करने वाला वाँछित अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार

पीड़िता के लिखित तहरीर वावत प्रतिवादी द्वारा पीड़िता के मोबाइल पर फोन करके अश्लील बाते करना व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 72/21 धारा 354डी,504,506 भादवि की विवेचना उ0नि0 कृष्णा कान्त शुक्ल द्वारा सम्पादित की जा रही है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद आजमगढ़ को अपराध मुक्त किये जाने के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान वांछित / वारन्टी की गिरफ्तारी व बरामदगी के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ श्री सिद्धार्थ के कुशल निर्देशन मे क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के व प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार के नेतृत्व मे आज दिनांक 27.09.2021 को उ0नि0 कृष्णा कान्त शुक्ल द्वारा मु0अ0सं072/21 धारा 354D,504,506 भादवि थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त भीमकेशरी यादव पुत्र दंगली यादव निवासी ईसरपार खास, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 13.00 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं072/21 धारा 354D,504,506 भादवि थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः-

भीमकेशरी यादव पुत्र दंगली यादव निवासी ईसरपार खास, थाना तहबरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 कृष्णा कान्त शुक्ल
2. का0 धर्मराज चौधरी
3. का0 अविनाश पटेल

थाना कोतवाली

तीन जालसाज *अभियुक्त* गिरफ्तार

दिनांक 26.9.21 को वादी श्री रामशरीफ चौहान पुत्र स्व0 पुरुषोत्तम चौहान निवासी हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 309/21 धारा 419/420/471 भादवि बनाम 1. राधेश्याम पुत्र स्व0 मनरूप आदि चार नफर पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण, अपराधियो की गिरफ्तारी व अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर सिद्धार्थ तोमर के कुशल

पर्वेक्षण एवंप्र0नि0 के. के. गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग –अलग टीम गठित कर अपराध/ अपराधीयो की धड़ पकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर संन्दिग्ध व्यक्ति / वाहनों की चेकिंग की जा रही थी जिसके क्रम में –

दिनांक 27.9.21 को उ0नि0 कमल नयन दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर मय हमराह कां0 अरूण पाण्डेय , कां0 अवधेश यादव थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के साथ मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण किसी कारण जिला अस्पताल आये हुए हैं इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम सदर अस्पताल पहुँची तो मुखबिर द्वारा इशारा करके बताने पर पुलिस टीम द्वारा तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम राधेश्याम पुत्र स्व0 मनरूप निवासी हाफिजपुर, दुसरे ने चन्द्रदेव पुत्र स्व0 मनरूप निवासी हाफिजपुर तथा तीसरे नें इरशाद पुत्र मो0 रजा निवासी हाफिजपुर थाना कोतवाली बताया। जिन्हें कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1. मु0अ0सं0 –309/21 धारा 419/420/471 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1.राधेश्याम पुत्र स्व0 मनरूप निवासी हाफिजपुर,
2.चन्द्रदेव पुत्र स्व0 मनरूप निवासी हाफिजपुर
3. इरशाद पुत्र मो0 रजा निवासी हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाले टीम का विवरण –

1. उ0नि0 कमल नयन दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर
2. कां0 अरूण पाण्डेय
3. कां0 अवधेश यादव समस्त थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

01 किग्रा0 200 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 राकेश चन्द्र त्रिपाठी थाना बिलरियागंज आज दिनांक 27.09.2021 को मय फोर्स के तहत तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम व चेकिंग वाहन केक्षेत्र मे मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की एक व्यक्ति पटवध की तरफ से आ रहा है जिसके पास नाजायज गांजा है। इस सूचना पर विश्वास कर क्षेत्राधिकारी सगड़ी को जरिए संचार माध्यम से अवगत कराते हुए मय हमराह कर्मचारीगण के प्रस्थान कर भावारायपुर पट्टी तिराहा के पास आने वाले व्यक्ति का इंतजार करने लगे की क्षेत्राधिकारी सगड़ी **मय हमराह भी** आ गये तब तक एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसकी तरफ मुखबिर खास **इशा**रा करके हटबढ़ गया । पुलिस द्वारा हिकमत अमली से आने वाले व्यक्ति को भावारायपुर पट्टी तिराहा पर पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो तो उसने अपना नाम बदन कुमार पुत्र शिवनाथ राम निवासी हारीपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया जिसकी जामा तलाशी से उसके दाहिने हाथ के झोले से नाजायज गाँजा बरामद हुआ । गाँजा रखने का अधिकार पत्र मांगा गया तो दाखिने से कासिर रहा और अपनी गलती की बार बार माँफी मांगने लगा । झोले मे रखे गाँजे को तौला गया तो उसका वजन 1 किग्रा0 200 ग्राम मिला । अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 NDPS ACT का बोध कराते हुए समय करीब 03.10 PM बजे **गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

बदन कुमार पुत्र शिवनाथ राम निवासी हारीपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

बरामदगी 01 किग्रा0 200 ग्राम नाजायज गांजा ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 165/2021 धारा 8/20 NDPS ACT थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1-उ0नि0 राकेशचन्द्र त्रिपाठी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2- हे0का0 रामचन्द्र यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3- का0 शशि प्रकाश सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर

02 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/वारण्टी के गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे चलाये गये अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में तथा प्र0नि0 गम्भीरपुर आजमगढ के पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 27.09. 21 को उ0नि0 लाल साहब मय हमराह द्वारा एक नफर वारण्टी बैरागी पुत्र सोनई निवासी ग्राम सरायपल्टू थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ सम्बन्धित जारीकर्ता न्यायालय श्रीमान एएसजे कोर्ट नं0 01 आजमगढ एसटी नं0 200/2017 स्टेट बनाम बैरागी धारा 363 ,366 भादवि थाना गम्भीरपुर अं0 सं0 393/13 को उसके घर से करीब समय 10.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा वारण्टी कतवारु पुत्र स्व0 रामनरायण सिह निवासी रानीपुर (रामपुर) थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष सम्बन्धित जारीकर्ता न्यायालय श्रीमान अपर प्रधान प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायालय कोर्ट नं0 1 मऊ इजरा नम्बर 746/2014 नीलम बनाम कतवारु अन्त र्गत धारा 128 जा0 फौ0 को उसके घर से करीब समय 11.55 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।